अध्याय–७

श्रमनीति

ग्रामीण तथा असंगठित श्रमिक

—भारतीय मजदूर संघ

प्रस्तावना

'Labour Policy' पुस्तक जो मा० श्री ठेंगड़ी जी, गोखले जी व मेहता जी द्वारा लिखी गई है। यह प्रस्तुत पुस्तिका उसी पुस्तक के अध्याय क्र० ७ की हिन्दी रूपान्तर है।

इसी प्रकार शेष १९ अध्यायों के भी हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किये गये हैं।

इस अध्याय के अनुवादक हैं– राष्ट्रीय सुरक्षा श्रमिक संघ, कानपुर के मंत्री व भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश की कार्यसमिति के सदस्य श्री रमाकान्त शुक्ल उनका मैं हृदय से आभारी हूं।

—प्रकाशक

ग्रामीण तथा असंगठित श्रमिक

ग्रामीण बेरोजगारी तथा अर्धनियोजन की समस्या ने अब तक के संतोषजनक विकल्प का उल्लंघन किया है। इस सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकडों की अनुपलब्धि ने समस्या की तीव्रता के आंकलन में एक बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न की है। ग्रामीण अर्धनियोजन के विस्तार का सही आंकलन अब भी बहुत कठिन है तो भी ग्रामीण श्रमिकों को उपयुक्त संरक्षण तथा सहायता प्रदान करने हेतु हमारे किसी योजना या योजनाओं की संरचना करने के पूर्व इन समस्त आंकड़ों को एकत्र करना ही पड़ेगा।

कई वर्षों के पूर्व, भारत सरकार ने रिपब्लिकन पार्टी को आश्वासन दिया था कि बची हुयी भूमि को भूमिहीन श्रमिकों के मध्य त्वरित बांट दिया जावेगा–विशेष तौर से उनके मध्य जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित बन्य जातियों से सम्बन्धित हैं किंतु फिर भी यह कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में सरकार के पक्ष में इमानदारी की कमी ही इस आश्वासन को न पूरा करने का मुख्य कारण है। बहुत से राज्यों में राज्य भूमि सुधार कानून में, भूमि बन्धन से सम्बन्धित व्यवस्थायें कड़ाई के साथ लागू नहीं की गयी हैं। कुछ मामलों में निर्धारित बन्धन अवास्तविक हैं तथा नितान्त अव्यवहारिक है। तब पर भी समस्त कृषि योग्य वेकार भूमि तथा भूमि सुधार कानूनों को लागू होने

अनुकूल नये तकनीकी विकास का विचार देता है। प्रथम चरण में यह प्रयोग कुछ चुने हुए क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है।

निकट भविष्य में अप्रतिरोधी परिणामों के देने में समर्थ, श्रम-सघन विकासमान परियोजनाओं को चलाना एक दूसरा माप है, जो विशाल पैमाने पर परीक्षण के योग्य है। उपयोगी सड़कों का निर्माण, छोटे तथा मझोले सिंचाई तथा परनाली के काम बेरोजगार तथा अर्ध-बेकारों की सहायता से किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय मानव शक्ति का पूर्णतया तथा फलदायी उपयोग के निमित्त सामाजिक दशायें तथा कार्य उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सुझाया गया कार्यवाही कार्यक्रम (**Action Programme**), भारतीय दशाओं और आवश्यकता के बहुत ही उपयुक्त है। निःसंदेह अपनी दशाओं के अनुरूप कार्यक्रम अपनाने के रास्ते और साधन ढूंढ़ने पड़ेंगे जो व्यवहार्य भी है।

रिपब्लिकन पार्टी ने मांग की थी कि भारत में सभी खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन कानून १९४८ का संरक्षण व लाभ प्रदान किया जाना चाहिये। यह अविलम्ब किया जाना चाहिये। इस कानून की धाराओं के अमलीकरण का विश्वास दिलाना अत्यधिक कठिन है। निरीक्षणालयों को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था अत्यधिक खर्चीली है। वास्तव में कृषि उद्योग इस बोझ को सहन करने में असमर्थ हैं। दूसरे स्रोतों से इन खर्चों का पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। इस काम को ग्राम या ब्लाक डेवलपमेंट कर्मचारियों पर देना सम्भव है। इसका परीक्षण किया जाना चाहिए, यद्यपि कोई भी इस प्रबन्ध की क्षमता से आश्वस्त नहीं हो सकता क्योंकि यह स्टाफ (कर्मचारी) उन लोगों के भ्रष्ट प्रभाव को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, जो न्यूनतम वेतन कानून के उल्लंघन के जिम्मेवार हैं। हमें स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन कानून के अमलीकरण का कोई प्रभावकारी ढंग ढूंढ़ने में असमर्थ रहे हैं। यद्यपि

हम सहमत हैं कि सम्पूर्ण देश में उसको लागू करना निहायत जरूरी है तथ्य रूप में, खेतिहर मजदूरों को सामाजिक न्याय की एकमात्र आश्वती (गारंटी), किसान, कारीगर और खेतिहर मजदूरों से युक्त, ग्रामीण राष्ट्रकुल की भावना पुनर्जीवित करने में निहित है। इस राष्ट्रकुल का प्रत्येक घटक सहमत है कि इसकी सम्पन्नता अपरिहार्य रूप से अन्य दूसरे भागीदारों से सम्बन्धित है। यह अनुभूति, सहयोग और पारस्परिक विश्वास का वातावरण व दृष्टिकोण को जन्म देती है। जब तक कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक मस्तिष्क में स्वैच्छिक पारस्परिक निर्भरता की भावना या अपरिहार्यता पुनः नहीं लायी जाती है केवल कानून के बल-पर न्याय और समानता का विश्वास दिलाना असम्भव है किन्तु यह सत्य है कि यूनियन संगठनों की क्षमता के बाहर यह एक बड़ा विषय है। चूंकि हम लोग इस प्रकार की आदर्श दिशा से बहुत दूर दिखलाई पड़ते हैं इसलिए हम कुछ भी न करके उपयुक्त कानून और उसके कड़ाई के साथ पालन पर विश्वास करते हैं।

केन्द्रीय श्रम संगठनों को अभी तक खेतिहर मजदूरों को संगठित करने में सफलता नहीं मिली है। यह कहना कठिन है कि यह उनकी अनुत्सुकता के कारण है या इस दिशा में उनकी अयोग्यता कारण है। वास्तव में खेतिहर मजदूरों को संगठित करना कई गुना अधिक कठिन है। उनके काम के स्थान बिखरे हुए हैं। अतएव उनके अन्दर ट्रेड यूनियन चेतना जाग्रत करना कठिन है। दूसरे उनमें से प्रत्येक अपने मालिक के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आता है जबकि फैक्ट्री में ऐसा विरला ही होता है। तीसरे उनको अभी भी विश्वास नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध विभिन्न परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, ट्रेडयूनियन कभी भी उनकी सेवा का एक प्रभावकारी यन्त्र बन सकती है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि खेतिहर मजदूरों के सम्बन्ध में श्रमिक सहकारी समितियां कम से कम उतनी ही उपयोगी हैं जितनी कि ट्रेडयूनियन में। उनको श्रमिक सहकारी समितियों में संगठित करने के लिये अधिक जोर देना चाहिये। श्रमिक

सहकारी समितियां बन विभागीय श्रमिकों के लिए भी अधिक उपयोगी हैं। इन अपढ़, अशिक्षित बन विभागीय मजदूरों को बन विभागीय ठीकेदारों के शोषण और चंगुल से बचाने हेतु उचित संरक्षण दिया जाना चाहिए। सब प्रकार की वेतन अदायगी और ठीकेदारी श्रम के काम की दशाओं में मालिकों को प्रमुख उत्तरदायी बनाने हेतु कानून में उपयुक्त संशोधन करने की प्राथमिकता दिखलाई पड़ती है। यह अवश्यमेव किया ही जाना चाहिए और उनको श्रम सहकारी समितियों में संगठित किया जाना चाहिये।

ग्रामीण कारीगर श्रमिक कानूनों की परिधि के बाहर हैं। वे 'कामगार' नहीं कहला सकते क्योंकि वे वेतन भोगी नहीं हैं। किन्तु उनके कल्याण पर किसानों और मजदूरों का कल्याण निर्भर करता है। यहां तक कि पार्श्ववर्ती का कल्याण पूर्ववर्ती के लिये पहली शर्त है। उनके हित में यह आवश्यक है कि उनके काम की दशाओं को सुधारा जाय, उनकी कारीगरी में थोड़े अंशों तक मशीनीकरण प्रचलित किया जाय, जो उनके उत्पादन के ढंग में पूर्णरूप से सहायक हो सके। स्वदेशी की भावना को प्रोत्साहित किया जाय और उनको बाजार सहकारी समितियों में संगठित किया जाय। ग्रामीण कारीगरों के लिये बाजार सहकारी समितियां वही हैं जो औद्योगिक कर्मचारियों के लिये ट्रेड-यूनियनें हैं।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के असंगठित और छोटे उद्योगों में कार्यरत मजदूर अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण के अधिकारी हैं। न्यूनतम कानून के प्राविधानों और दूसरे कानूनों को इस क्षेत्र तक बढ़ाया जाना चाहिये। इस प्रकार के कानूनों को लागू करवाने या निरीक्षण करने के लिये पर्याप्त मात्रा में श्रम निरीक्षकों को भर्ती किया जाना चाहिये। एक प्रतिष्ठान, जो अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी प्रदान नहीं कर सकता, चलते रहने का कोई अधिकार नहीं रखता है। इस सिद्धान्त को

कड़ाई के साथ पालन करना चाहिये। उनके मामले में ट्रेड यूनियन के चंदे की दर घटाई जानी चाहिए। इस प्रकार यह इस क्षेत्र में ट्रेड यूनियन-वाद की वृद्धि में सहायक हो सकती है।

—o—

प्रकाशक–

महामंत्री

भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश

२, नवीन मार्केट

कानपुर

मूल्य १० पैसे

मुद्रक–

टिप-टाप प्रिन्टर्स

२४/९१, बिरहाना रोड,

कानपुर–१

फोन : ६९१११